राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःई–33/रेडियो/एम 85–ाा/2017/ दिनांक :

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
2. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर।
3. निदेशक (ईएसआई) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, अजमेर रोड जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन राजस्थान।
5. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।

विषयः चयनित वेतन श्रृंखला /एसीपी के प्रस्तावों के संबंध में।

निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 135 दिनांक 14.3.2017 के द्वारा चयनित वेतन श्रृंखला/एसीपी प्रकरणों/प्रस्तावों के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, इसके पश्चात भी निर्देशों की पूर्ण पालना नही की जा रही है।

अतः पुनः लेख है कि विषयान्तर्गत वर्णित प्रकरणों/प्रस्तावों में निम्न वर्णित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1. यह प्रमाणित किया जावे कि कर्मचारी का नाम उसके धारित किए जाने वाले पद की वरिष्ठता सूची में दर्ज है। वरिष्ठता सूची जारी करने का वर्ष एवं वरिष्ठता क्रमांक भी अंकित किया जावे।
2. कर्मचारी के विगत 7 वर्ष की एसीआर प्राप्त होने एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा भिजवाने का क्रमांक एवं दिनांक अंकित करें। साथ ही उक्त अवधि में कर्मचारी की सेवाएं संतोषजनक रही है, का प्रमाण पत्र अंकित करें।
3. विभागीय जांच नियंत्रण अधिकारी के स्तर पर बकाया नही होने का प्रमाण पत्र अंकित करें।
4. अधिनस्थ संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों के प्रकरण संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से ही भिजवायें।
5. सभी प्रकरणों की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या संबंधित संस्थान में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी यथा लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी से परीक्षण करवाकर ही भिजवायें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःई–33/रेडियो/एम 85–ाा/2017/ 511 दिनांक : 12-7-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कार्यालय अधीक्षक अराजपत्रित/नर्सिंग/स्वास्थ्य मुख्यालय को भेजकर लेख है कि भविष्य में चयनित वेतन श्रृंखला/एसीपी के प्रस्तावों में उक्त बिन्दुओं की पूर्ति होने पर ही स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को संबंधित अधिकारी की ई–मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर